

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-[dfobag-forest-uk.nic.in/](mailto:dfobag-forest-uk.nic.in) dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०: 05963-220249
वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 1987 / 12-1
सेवा में,

बागेश्वर

दिनांक : 24/02/2018

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर से काफलीकमेड़ा तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या-13065/2015)

सन्दर्भ- ऑन लाईन आपत्ति के क्रम में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु स० 1	In reply of point no.2, of EDS the geo-referenced digital map for thr forest land proposed for diversion has been uploaded but the original hard copy has not been submitted for placing in the hard copy of the proposal.	जियो रेफरेन्स डिजिटल मैप बना कर प्रस्ताव की हार्ड कापी में संलग्न कर दिया गया है एवं आपको भी हार्ड कापी में प्रेषित किया जा रहा है।
2	In reply to point no.3 of EDS the geo referenced digital map for the forest land proposed for CA has been uploaded but the original hard copy has not been submitted for placing in the hard copy of the proposal.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जियो रेफरेन्स डिजिटल मैप बनाकर प्रस्ताव की हार्ड कापी में संलग्न कर दिया गया है एवं आपको भी हार्ड कापी में प्रेषित किया जा रहा है।
3	In reply to point no.4 of EDS it is mentioned that revised NPV calculation has been uploaded in online part-ii and also enclosed with the reply but this document has neither been found uploaded not attached with the reply.	एन०पी०वी० की संशोधित धनराशि का आकलन संलग्न कर हार्ड कापी में प्रेषित किया जा है
4	In reply to point no.6 of EDS it is mentioned that the component wise breakup has been corrected and uploaded at para-B-2.3 of online part-I but no correction has been found at para B-2.3	component wise breakup को ऑनलाईन संशोधित कर प्रेषित कर दिया गया है
5	In reply to point no.7 of EDS it is mentioned that the ownership proof of proposed CA land has been uploaded at para-L (iv) (g) of online part-I but there is no para-L(iv)(g) in the online part-I.Moreover,	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विवरण को ऑनलाईन संशोधित कर प्रेषित कर दिया गया है

5	In reply to point no.7 of EDS it is mentioned that the ownership proof of proposed CA land has been uploaded at para-L (iv) (g) of online part-I but there is no para-L(iv)(g) in the online part-I. Moreover, this document has not been found uploaded at any other sub para -L.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विवरण को ऑनलाईन संशोधित कर प्रेषित कर दिया गया है
6	In reply to point no. 8 of EDS it is mentioned that the cost benefit Analysis has been uploaded at section -G in part-ii online but there is no section-G in part-ii online. Moreover the cost benefit analysis as per prescribed formats i.e annexure-vi (b) and annexure-vi(v) has not been found uploaded at para-G part-I online.	cost benefit Analysis को संशोधित कर ऑनलाईन एवं हॉर्ड कापी में प्रेषित किया जा रहा है।
7	State Govt. has not submitted the information about length & width of road passing through van panchayat land, civil land & Naap land separately including the land involved which is required for verification of area proposed for diversion.	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि को संशोधित कर हार्ड कापी में संलग्न कर आपको प्रेषित किय गया है।
8	No action has been taken on point no.5 of EDS. State Govt. has to submit either original of attested photocopies of all the document to be placed on the hard copy of the proposal except geo-referenced maps FRA certificate & enumeration list of trees required to be submitted in original.	FRA certificate को पुनः संशोधित कर हार्ड कापी में आपको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
9	Taking 324 no. of saplings falling in diameter class of 0.10 cm into consideration, the total no. of trees per hectare comes to 139 trees. Therefore, the density which is mentioned at 0.2 is required to be reviewed by the state government.	Density has been ^{revised} as per directions.

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर


प्रपत्र-50

परियोजना का नाम- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर से काफलीकमेडा मोटर मार्ग लम्बाई 11.250 कि०मी० के लिए वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० धनराशि का प्राकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आदेश संख्या 5-3/2007 -एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वनभूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है।

- 1-ईको क्लास श्रेणी- पांच (v)
- 2-हरियाली का घनत्व- 0.4 प्रतिशत
- 3-एन०पी०वी० की दर प्रति है०- रू० 8.45 लाख
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 6.287 है०
- 5-कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि- रू० 53.12 लाख


प्रभागीय वनाधिकारी
बामेश्वर वन प्रभारा बामेश्वर